जेपी अस्पताल में मरीजों को मिल रहे खून से सने स्ट्रेचर

- हमीदिया और जेपी जिला अस्पताल में नियम ताक पर
- प्रबंधन को नियमों की जानकारी नहीं

जेपी में स्ट्रेचर पर लगा मरीज का खून, बिना साफ किए छोड़ा.

मरीज को दिया बिना रबर शीट और चादर का स्ट्रेचर.

साक्षी केसरवानी

भोपाल, 2 जुलाई. राजधानी के हमीदिया और जेपी जिला अस्पताल में बुनियादी चिकित्सा नियम तार-तार हो चुके हैं. अस्पतालों में आए दिन मरीजों को दिया जाने वाले स्ट्रेचरों पर न तो रबर शीट है और न ही साफ चादर. इसका जीता जागता प्रमाण गुरुवार को जेपी जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास देखने को मिला. जहां गेट के बाहर रखे स्ट्रेचर पर पिछले मरीज का खून लगा हुआ था और उसे बिना साफ किए ही अगले मरीज के लिये ही छोड़ दिया गया. इतना ही नहीं पास में रखे दो अन्य स्ट्रेचर पर भी गंदी और यूज्ड डिस्पोजेबल शीट लगी हुई थी.

बता दें यही हाल हमीदिया अस्पताल में भी मरीजों को मिलने वाले स्ट्रेचर का है, जहां अधिक्तर स्ट्रेचर पर चादर और गद्दे का देखने को नहीं मिलते.

दोगुना है बिना चादर और सैनेटाइजेशन के संक्रमण का खतरा :डॉक्टरों के अनुसार बिना सैनेटाइज और साफ चादर के मरीज का शरीर सीधे स्ट्रेचर के संपर्क में आता है, तो इंफेक्सन से त्वचा पर सड़ने वाले घाव हो सकते हैं. वहीं मरीजों की उल्टी या दस्त के बारीक अंश गद्दे या स्ट्रेचर पर रह जाने से बिना चादर के ई-कोलाई बैक्टीरिया और नोरोवायरस फैल सकता है. जिससे अगले मरीज को पेट में मरोड़, तेज उल्टी और जानलेवा दस्त की शिकायत हो सकती है. वहीं एक्सीडेंट या चोट लगे मरीजों का खून अक्सर स्ट्रेचर पर गिर जाता है. जो दूसरे मरीज के संपर्क में आने से उसे हेपेटाइटिस बी, सी जैसी लीवर को सड़ाने वाली बीमारियां हो सकती हैं.

इधर, इस मामले में सीएमएचओ मनीष शर्मा से फोन के जरिये संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी.

क्या कहते हैं नियम

डब्ल्यूएचओ और चिकित्सा नियमों के मुताबिक हर एक मरीज को स्ट्रेचर से उतारने के बाद पुरानी चादर या डिस्पोजेबल शीट को हटाकर स्ट्रेचर को खास केमिकल से सैनिटाइज करना अनिवार्य है. जो कि मरीज और स्ट्रेचर के बीच सुरक्षा दीवार का काम करती है. वहीं हर नए मरीज के लिए स्ट्रेचर को सैनिटाइज करना और साफ चादर बिछाना अनिवार्य है.

हमीदिया अधीक्षक बोले कोई नियम नहीं

स्ट्रेचर पर शीट और साफ चादर की अनिवार्यता को लेकर जीएमसी डीन डॉ. कविता एन सिंह ने कहा कि स्ट्रेचर पर शीट और चादर रखना चाहिये. इस विषय पर नियमों से संबंधित जानकारी अस्पताल अधीक्षक दे सकते हैं. लेकिन मामले को लेकर अधीक्षक सुमीत टंडन ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी मरीज को संक्रमण का खतरा नहीं है.

अवैध खदान संचालन को लेकर विवाद

- समतलीकरण के लिए परमिशन की क्यों पड़ी जरूरत
- अनियमितताओं के बावजूद रॉयल्टी की रसीद जारी

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. हुजूर तहसील क्षेत्र के ग्राम रोजीवे में अवैध खदान संचालन को लेकर खनिज विभाग और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की. जिस भूमि पर खदान संचालित की जा रही थी, वह गांव निवासी हरिचरण की निजी भूमि है, जिसका खसरा क्रमांक 56/1 है।

इसका क्षेत्रफल लगभग 6 हेक्टेयर बताया जाता है.इस भूमि पर समतलीकरण की अनुमति खनिज विभाग से ली गई थी.आरोप है कि खनिज विभाग की मिलीभगत से पहले से सोची-समझी साजिश के तहत अनुमति में अतिरिक्त मात्रा जोड़ दी गई.खदान के लिए 44 हजार घनमीटर मिट्टी की अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोप है कि इसी अतिरिक्त अनुमति की आड़ में पोकलेन मशीनों से दिन-रात मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी गई.

समतलीकरण के बजाय भूमि को गहरा गड्ढा बनाकर खनन स्थल में बदल दिया गया.इस दौरान भूमि स्वामी ने लाखों रुपये की मिट्टी का विक्रय भी कर दिया. मंगलवार को की गई कार्रवाई अवैध उत्खनन को लेकर थी, जो लीज अवधि समाप्त होने के अंतिम दिन की गई. भूमि स्वामी द्वारा समतलीकरण और अतिरिक्त अनुमति के नाम पर पोकलेन मशीनों से खनन शुरू कर दिया गया था। यह कार्य काफी समय से चल रहा था.

22 लाख रुपये रॉयल्टी बकाया

बताया जाता है कि भूमि स्वामी द्वारा लीज अवधि के बाद भी 44 हजार घनमीटर अतिरिक्त मिट्टी का विक्रय किया गया. इसकी रॉयल्टी की रसीद भी जारी की गई थी. खनिज निरीक्षक के अनुसार, 22 लाख रुपये की रॉयल्टी बकाया है, जिसकी वसूली की जानी है. जबकि नियम के अनुसार रॉयल्टी रसीद निर्धारित राशि जमा करने के बाद ही जारी होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि बकाया राशि के बावजूद रॉयल्टी रसीद कैसे जारी हो गई. इससे यह भी संकेत मिलता है कि लीज स्वामी ने सांठगांठ कर बिना राशि जमा किए रॉयल्टी रसीद प्राप्त की .इस मामले में रुचि माथुर ने बताया कि पूरी कार्रवाई कर 22 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है.

अवैध हथियारों के साथ आरोपी गिरफ्तार

पिस्टल और रिवाल्वर जब्त

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 02 जुलाई. अवैध हथियारों के साथ क्राइम ब्रांच पुलिस ने दो तस्कर गिरफ्तार को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल और रिवाल्वर जब्त की है. इस प्रकरण में अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे कुल 4 पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 1 रिवाल्वर 5 कारतूस और 8 मोबाइल फोन बरामद किये जा चुके है.

पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं. आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी, अवैध हथियारो की तस्करी के बडे खुलासे की संभावना है.

क्राइम ब्रांच पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि आर्म्स एक्ट के फरार आरोपी रॉयल मार्केट क्षेत्र में देखे गए हैं. त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने ताजुल मस्जिद के सामने और यूनिक अस्पताल के पास घेराबंदी कर संदिग्ध अकमल अली (21) और समी खान (19) निवासी तलैया को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने ये अवैध हथियार 'तालिब' नागक व्यक्ति से खरीदे थे.

आईसीएआर पीजी, पीएचडी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

भोपाल. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एआईईईए पीजी और एआईसीई जेआरएफ एसआरएफ पीएचडी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा से जुड़ा पूरा शेड्यूल देख सकते हैं. बता दें परीक्षा आगामी 4 जुलाई को कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा को 2 अलग-अलग पालियों में संपन्न कराया जाएगा. पहली पाली में एआईईईए पीजी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी.

कार में रखे 3 लाख सहित सामान चोरी

- आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 2 जुलाई. बागसेवनिया इलाके में अज्ञात चोर ने एक डॉक्टर की कार से बैग चोरी कर लिया. चोरी गए बैग में 3 लाख रुपये नकद सहित सामान रखा था. मामले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदित्य पाठक निवासी बरखेड़ा पठानी अवधपुरी खुद का क्लीनिक चलाते हैं. डाक्टर पाठक की बेटी साकेत नगर स्थित निजी स्कूल की छात्रा है. बुधवार को डाक्टर पाठक अपनी पत्नी के साथ बेटी को कार से स्कूल छोड़ने पहुंचे थे. उन्होंने अपनी कार को स्कूल के गेट के सामने पार्क किया और लॉक करना भूल गए.

बेटी को स्कूल के अंदर छोड़ने के लिए दोनों पति पत्नी चले गए. वापस लौट कर जब उन्होंने देखा तो कार के अंदर रखा उनका 3 लाख रुपए नकद से भरा बैग गायब था. कार में उनका लैपटॉप, जरूरी दवाइयां सहित अन्य सामान भी नहीं था. फरियादी ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. बागसेवनियां थाना पुलिस ने केस दर्ज कर स्कूल के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है.

कोहेफिजा थाना प्रभारी पर लगा 50 हज़ार रुपए का अर्थदंड

- पुलिस कमिश्नर ने दिखाई सख्ती

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 2 जुलाई. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने सख्ती दिखाते हुए कोहेफिजा थाना प्रभारी पर 50 हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया है. टीआई के जी शुक्ला पर एक मामले की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे हैं. इस संबंध में पुलिस कमिश्नर का आदेश जारी है.

टीआई केजी शुक्ला पर बीते जून महीने में एक मामले में की गई लेट लतीफी कार्रवाई को लेकर जुर्माने की कार्रवाई की गई है. इलाके में एक जिला बदर आरोपी द्वारा एक वाहन की तोड़फोड़ करने के मामले में आरोप है कि केजी शुक्ला ने देरी से कार्रवाई की. आरोप है कि मामले की मुखबरी करने वाले युवक को टीआई केजी शुक्ला ने भगा दिया था. मुखबिर ने मामले की दास्तान कमिश्नर को सुनाई. कमिश्नर की फटकार के बाद आनन-फानन में टीआई ने मामले में कार्रवाई की.

बरकतउल्ला विवि में भर्ती का रास्ता साफ

उच्च शिक्षा विभाग ने 105 शैक्षणिक पदों की दी मंजूरी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 2 जुलाई. मप्र शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के लिए पूर्व में स्वीकृत 105 शैक्षणिक पदों की पुष्टि करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है. बता दें यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद लिया गया है. जिसके अनुसार तय समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश भी दिया गया है.

वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव वीरन सिंह भलावी द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजे गए पत्र के अनुसार इन स्वीकृत पदों पर नियमों के तहत भर्ती करने की सहमति प्रदान की गई है. इस आदेश के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन नियमों के दायरे में रहकर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा. हालांकि शासन ने अपने पत्र में यह भी साफ कर दिया है कि इन पदों पर होने वाली नियुक्तियों के लिए सरकार की ओर से कोई भी अलग से अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने स्तर पर ही वित्तीय व्यवस्था को संभालना होगा. शासन द्वारा उठाए गए कदम से यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी और शैक्षणिक स्तर में सुधार देखने को मिल सकता है.

युवक ने महिला का किया शारीरिक शोषण

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 2 जुलाई. गुनगा थाना इलाके में एक 30 वर्षीय महिला के साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ उसे बदनाम करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. आरोप है कि युवक बीते कई महीनों से महिला का शोषण कर रहा था. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला शादीशुदा है. उसके पति का परिवार खेती किसानी करता है. गांव का ही रहने वाला आरोपी युवक का महिला के घर पर आना-जाना बहुत पहले से था. आरोपी ने एक रोज महिला के परिजनों की गैरमौजूदगी में उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला का आरोप है कि युवक ने इस दौरान उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाये. आरोपी ने फोटो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ महीनों तक शारीरिक शोषण किया. आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया.

दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा अभी भी बाकी

- रिश्तेदारों और किराएदारों से पूछताछ, कार्रवाई जारी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 2 जुलाई. ऐशबाग थाना इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है. वारदात के बाद से मृतकों का मोबाइल फोन भी गायब था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है.

बुजुर्ग दंपती हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी शकुंतला बारीक सुदामा नगर स्थित आंबेडकर कॉलोनी में रहते थे. करीब एक सप्ताह पहले दोनों का शव उनके घर से पुलिस ने बरामद किया है. दोनों के मोबाइल फोन भी मौके से गायब मिले. पुलिस को अब एक मोबाइल फोन चूनाभट्टी इलाके से बरामद हुआ है. बरामद हुए फोन को लेकर जानकारी सामने आई है कि आरोपी ने उसमें मौजूद ड़ाटा को डिलीट कर सड़क के किनारे फेंक दिया था. पुलिस पूरे डाटा को रिकवर करने का प्रयास कर रही है. फेंका गया फोन स्थानीय रहवासी एक व्यक्ति को पड़ा मिला था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड के मामले में अब तक मृतक के कई रिश्तेदारों और संदिग्धों से पूछताछ की है. इसके बाद भी अभी तक इस हत्याकांड़ की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है. पुलिस मामले में बुजुर्ग दंपत्ति के प्रापर्टी का लालच में आकर सुपारी देकर हत्याकांड़ को अंजाम देने के एंगल से भी जांच कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों की पहचान कर हिरासत में लिया है. पूरे मामले में बुजुर्ग दंपति के घर में रह रहे किराएदारों की भूमिका को लेकर भी पुलिस की जांच जारी है. मिली जानकारी के मुताबिक एक किराएदार बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के चार दिन पहले से गायब है. उसका सामान भी कमरे में मौजूद है.

एमपी नगर में दो कोचिंग सेंटर सील

भोपाल. राजधानी में गुरुवार को एक बार फिर से फायर सुरक्षा को लेकर नगर निगम का दल एम पी नगर स्थिति कोचिंग सेंटरों पर पहुंचा. . जहां पर फायर सुरक्षा का निरीक्षण किया इससे पहले भी निगम के सुरक्षा अधिकारियों ने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया था. निरीक्षण कलेक्टर द्वारा गठित दल ने किया. दल ने निरीक्षण कर फायर सुरक्षा की कमियों को दूर करने सात दिन का नोटिस दिया था, सात दिन बाद पहुंचे दल ने दो कोचिंग सेंटरों दुर्रानी और अन-एकेडमी कोचिंग को सील कर दिया. इनमें फिर भी कमियां पाई गईं.

साइबर अपराधियों पर प्रहार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 2 जुलाई. साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन को डिजिटल ठगों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से पुलिस मैदान में उतर चुकी है.

पिछले 8 दिनों में भोपाल नगरीय पुलिस ने जन-जागरुकता के लिए व्यापक अभियान चलाया. भोपाल पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात एक करके इस अभियान को जन-आंदोलन बना दिया है. मैदान में 1,177 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उतरे और 335 से अधिक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरुक करने का कार्य किया.

पड़ताल | श्रम विभाग को एक साल में सिर्फ एक बाल श्रमिक मिला

लेकिन शहर में होटलों और दुकानों में बच्चे कर रहे काम

सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 2 जुलाई. राजधानी में बाल श्रम पर रोक के दावों के बावजूद नाबालिग बच्चों से काम कराए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला पीएनटी चौराहे के पास स्थित एक कबाड़ की दुकान का है, जहां कई बच्चों से कबाड़ इकट्ठा कराने, चाय बनवाने और अन्य काम कराए जाते देखा गया. जब बच्चों से बातचीत की गई तो वे डरे-सहमे नजर आए और कुछ भी बताने से बचते रहे.

दुकान मालिक ने दावा किया कि बच्चे अपनी इच्छा से यहां काम करते हैं, लेकिन पड़ताल में पता चला कि एक बच्चे की उम्र महज 13 वर्ष है. पूछताछ के दौरान वह अपने माता-पिता का नाम तक स्पष्ट रूप से नहीं बता सका. तस्वीरें लेते समय भी बच्चे कैमरे से बचते दिखाई दिए. यह स्थिति केवल एक दुकान तक सीमित नहीं है. एमपी नगर सहित शहर के कई इलाकों में होटल, ढाबों, गैराज, चाय की दुकानों और कबाड़ कारोबार में नाबालिग बच्चे काम करते आसानी से देखे जा सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक मजबूरी, पारिवारिक परिस्थितियां और प्रभावी निगरानी की कमी के कारण बाल श्रम की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है.

श्रम विभाग के अनुसार वर्ष 2025-26 में पुलिस की सूचना पर भोपाल से केवल एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया. हालांकि विभागीय कार्रवाई के बावजूद बड़ी संख्या में बेसहारा और कामकाजी बच्चे अब भी सड़कों और बाजारों में नजर आते हैं, जिससे रेस्क्यू और पुनर्वास व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

क्या कहता है कानून

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का रोजगार कराना प्रतिबंधित है. वही 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम पर नहीं रखा जा सकता. कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ जुर्माना और कारावास का प्रावधान है.

इस संबंध में मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा. निवेदिता शर्मा ने कहा कि समय पर सभी बच्चों तक नहीं पहुंच पाने की सबसे बड़ी वजह विभाग में स्टाफ और संसाधनों की कमी है. उनके अनुसार टास्क फोर्स का गठन होने पर भी सीमित अमले के कारण एक समय में केवल एक स्थान पर ही कार्रवाई संभव हो पाती है. उन्होंने बताया कि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है तथा प्रदेश में संचालित चार श्रमोदय विद्यालयों में लगभग 500 बालिकाएं और 500 बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. जिंहे कौशल शिक्षा के जरिए रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि कहीं भी बाल श्रम करते बच्चे दिखाई दें तो तत्काल 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर सूचना दें.

नगर निगम के टॉयलेट परिसर में ही गंदगी

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. नगर निगम के नवीन मुख्यालय अटल भवन में बारिश की शुरुआत के साथ ही पानी टपकने लगा है. वहीं, वहां के शौचालय परिसर में वॉशबेसिन गंदे पड़े हैं, जिससे लोग हाथ धोने के लिए उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं.नगर निगम शहर में स्वच्छता अभियान चला रहा है, लेकिन जब उसके अपने कार्यालय में ही सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, तो शहर की स्वच्छता को लेकर उसकी गंभीरता पर सवाल उठते हैं.

गुरुवार को शहर में बारिश की शुरुआत हुई, जो रुक-रुककर होती रही। इसी दौरान देखा गया कि निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के चैंबर के बाहर पानी का झरना जैसा दृश्य दिखाई दिया.जांच करने पर पता चला कि मुख्यालय भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से पानी आ रहा है. खुले क्षेत्र को कवर करने के लिए ऊपर प्लास्टिक की शीट लगाई गई थी, जो बारिश के दौरान टूटकर उड़ गई, जिससे पानी अंदर आने लगा.अब सवाल यह है कि यह प्लास्टिक शीट किस प्रकार लगाई गई थी, जो पहली ही बारिश को भी नहीं झेल सकी.यह भवन लगभग 73 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया था.

मुख्यालय में 16 सफाई कर्मचारी तैनात

जानकारी के अनुसार, नगर निगम मुख्यालय के शुभारंभ के साथ ही लगभग 16 सफाई कर्मचारियों को भवन की सफाई के लिए तैनात किया गया है, जो झाड़ू-पोंछा सहित सभी सफाई कार्य करते हैं. इसके बावजूद पांच मंजिला भवन के टॉयलेट परिसर की स्थिति खराब बनी हुई है.ऐसे में सवाल उठता है कि तैनात सफाई कर्मचारी किस प्रकार सफाई कर रहे हैं कि शौचालय और वॉशबेसिन गंदे रह जाते हैं. निगम मुख्यालय की सुरक्षा और स्वच्छता की जिम्मेदारी निगम के ही कर्मचारियों के हाथों में है.